

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

उक्त सिद्धी केवल आवासीय श्रेणी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 035 दिनांक 22/01/2021

पाठीशुभा राजेश कुमार मरवठा - प्लॉट नं. 2 मनीषा सिद्धुप

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

निर्माण के लिए कार्यालय नं. 2

केर स्वीकृति जारी करके 035/15 जमा

जारी रसीद नम्बर 0060/1189, 1190

दिनांक 22/01/2021 को जमा करा दी है ।

9/2/2020

सहायक नगर निर्याजक

नगर निगम, जोधपुर

Payesh

राजेश कुमार मरवठा  
Mob. No. 9829803860

जी - 1

आवासीय